

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला बारां/2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला-बारां/2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम : अन्ता


| क्र.स. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|--------|--------------|--------------|-----------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | महुआ | महुआ | रामावि महुआ | राप्रावि एसी बस्ती महुआ, राप्रावि महुआ | राप्रावि एसी बस्ती महुआ | सिचाई माइनर एवं दूरी 2 किमी होने के कारण |

पंचायत समिति का नाम : अटरू

| क्र.स. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|--------|--------------|--------------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | कवाई | कवाई | राउमावि कवाई | राप्रावि बंजारी की टापरिया, राउप्रावि सालपुरा | राप्रावि बंजारो की टापरिया | हाइवे एवं दूरी 1.5 किमी होने के कारण |
| 2 | बडोरा | बडोरा | राउमावि बडोरा | राप्रावि कालबेलिया बस्ती बडोरा, राउप्रावि बडोरा | राप्रावि कालबेलिया बस्ती बडोरा | 1 किमी से दूरी अधिक होने के कारण |
| 3 | मेरमाचाह | मेरमाचाह | रामावि मेरमाचाह | राप्रावि इन्द्रा कॉलोनी मेरमाचाह, राप्रावि मेरमाचाह | राप्रावि इन्द्रा कॉलोनी मेरमाचाह | राजमार्ग एव 3 किमी दूरी होने के कारण |

पंचायत समिति का नाम: बारां

| क्र.स. | ग्राम पंचायत / नगरपरिषद | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|--------|-------------------------|--------------|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | बारां नगरपरिषद | -- | राउमावि कोटा रोड बारां | राउमावि स्टे रोड बारां | राउमावि स्टे. रोड बारां | व्यस्तम सडक मार्ग व पर्याप्त नामांकन होने के कारण |
| 2 | मेलखेडी | मेलखेडी | रामावि मेलखेडी | राप्रावि मेलखेडी राप्रावि मेलखेडी छाप | राप्रावि मेलखेडी छाप | दुरी 3 किमी होने के कारण |
| 3 | कोटडी सूण्डा | कोटडी सूण्डा | रामावि कोटडी सूण्डा | राप्रावि कोटडीसूण्डा, राप्रावि शिक्षाकर्मी वेवडिया | राप्रावि शिक्षाकर्मी वेवडिया | दुरी 3 किमी होने के कारण |



पंचायत समिति का नाम: छबडा

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | छबडा | छबडा | राउमावि छबडा | राप्रावि छबडा षष्ठम राउप्रावि छबडा पंचम | राप्रावि छबडा षष्ठम | व्यस्ततम सड़क मार्ग होने के कारण |

पंचायत समिति का नाम : किशनगंज

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | भेंवरगढ | भेंवरगढ | राउमावि भेंवरगढ | राउप्रावि भेंवरगढ, रा.प्रा.वि. प्रकाशपुरा राशिकप्रावि तेजाजी का डाण्डा राप्रावि भेंवरगढ, शिकप्रावि प्रेमनगर | राशिकप्रावि तेजाजी का डाण्डा राप्रावि भेंवरगढ, शिकप्रावि प्रेमनगर | राजमार्ग एवं 2 किमी दूरी होने के कारण हाइवे एवं दूरी 1 किमी होने के कारण दूरी अधिक होने के कारण |
| 2 | खांखरा | प्रेमनगर | रामावि खांखरा | राप्रावि प्रेमनगर, राप्रावि खांखरा | राप्रावि प्रेमनगर | दूरी 3 किमी होने के कारण |
| 3 | नाहरगढ | नाहरगढ | राउमावि नाहरगढ | राप्रावि सहरिया बस्ती नाहरगढ, उप्रावि नाहरगढ | राप्रावि सहरिया बस्ती नाहरगढ | दूरी अधिक होने के कारण |

पंचायत समिति का नाम : छीपाबडोद

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | छीपाबडोद | छीपाबडोद | राउमावि छीपाबडोद | राप्रावि छीपाबडोद प्रथम, राउप्रावि छीपाबडोद प्रथम | राप्रावि छीपाबडोद प्रथम | राजमार्ग होने के कारण |
| 2 | फूलबडोदा | फूलबडोदा | रामावि फूलबडोदा | राप्रावि नयागॉव, राप्रावि फूलबडोदा | राप्रावि नयागॉव | दूरी 2 किमी होने के कारण |
| 3 | गगचाना | गगचाना | राउमावि गगचाना | राप्रावि गगचाना, राप्रावि इन्द्रा कॉलोनी गगचाना | राप्रावि इन्द्रा कॉलोनी गगचाना | दूरी 1.5 होने के कारण |
| 4 | पीथपुर | पीथपुर | रामावि पीथपुर | राप्रावि पीथपुर, राप्रावि पुरानी बस्ती पीथपुर | राप्रावि पुरानी बस्ती पीथपुर | दूरी 1.5 होने के कारण |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(अन्तर सिंह नेहरा)

संयुक्त शासन सचिव

20/10/14

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।

3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर,।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक,।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय),।
21. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव